

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन क्रिस्तमध्येयराज्य, जयपुर।
 (हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांकः— ओ.एस.डी./नविवि/16/1474

दिनांकः— 30-11-2016

1. फूलचन्द पुत्र मंगलचन्द	खसरा नं. 368	रकबा 21-10 बीघा—बिस्वा
2. रामप्यारी पत्नि स्व. लादूराम मोहनलाल, प्रभुदयाल, अनिल(फोत), राजूलाल, रमेश, ललिता देवी, संतोष पुत्र—पुत्रीयान् स्व. लादूराम हि. 2/3	खसरा नं. 332	रकबा 23-10 बीघा—बिस्वा
3. दीपचन्द, दामोदर पुत्र भैरू हि. 1/2	खसरा नं. 349	रकबा 20-10 बीघा—बिस्वा

निवासी ग्राम देवरी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.05.2015 की पालना बाबत्। (निर्णय की छाया प्रति संलग्न)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.05.2015 में मण्डल अधिवक्ता की राय अनुसार (Hon'ble Supreme Court Vide its judgment dt. 1.5.2015 upheld the rate of compensation to be paid to the khatedars @ Rs. 100/- sq. yard with other Statutorn benefits) खातेदारों को मुआवजा स्वरूप 100 रुपये प्रति गज व केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 34 व 23(2) में देय परिलाभ का निर्णय किया गया है। जिनमें से निम्न खातेदारों को अवार्ड में व प्रार्थना पत्रों के अनुसार चाही गई मुआवजा राशि में हिस्सा व स्वामित्व में परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना नहीं की जा सकती। जिनका विवरण निम्नप्रकार से है :—

खसरा नं. 368 में फूलचन्द पिता स्व. श्री मंगलचन्द हि. 1/2 ने मुआवजा राशि की मांग की है व नारायण, पाचूं गोकुल पुत्रान् स्व. श्री पन्ना ने प्रार्थना की रामदेव ने अपने हिस्से में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.03.1976 को उप पंजीयक जयपुर के समक्ष प्रार्थीगण नारायण पुत्र पन्ना, पाचूंराम पुत्र पन्ना, गोकुल पुत्र पन्ना के हक में 7 बीघा 7 बिस्वा का बेचान कर दिया था। इसी प्रकार 21 बीघा 10 बिस्वा का 1/2 मंगल चन्द के मृत्यु के उपरान्त इकलोती संतान फूलचन्द पुत्र मंगल चन्द ही कानूनी वारिस है। जबकि अवार्ड दिनांक 02.01.1989 के अनुसार मोती, लक्ष्मण पुत्र रामदेव, सरजू बेवा रामदेव हि. 1/2 चुन्नी लोल, मंगल पुत्र धन्ना ग्राम देवरी दर्ज है। (अवार्ड/प्रार्थना पत्रों की छाया प्रति संलग्न)


खसरा नं. 332 में मोहनलाल, रमेश, राजूलाल, प्रभुदयाल पुत्रान् स्व. श्री लादूराम, रामप्यारी पत्नि लादूराम, ललिता, संतोष, पुत्रियां लादूराम 1/3 सोनी देवी, धन्नी देवी पुत्रियां स्व. श्री किशनाराम हि. 2/3 साथ ही स्व. चमेली देवी पुत्री किशना राम के वारिसान् शंकर लाल, जगदीश, नन्दकिशोर, सुगना देवी, लाली देवी ने मुआवजा राशि की मांग की है, क्योंकि स्व. श्री किशनाराम जी के हिस्से में सोनी देवी, धन्नी देवी व स्व. चमेली देवी का हिस्सा भी बनता है, और हम चमेली देवी के सत्ताने हैं। जबकि अवार्ड के अनुसार किशनलाल पुत्र रामपाल हि. 1/3, लादूराम पुत्र किशनलाल हि. 2/3 ग्राम देवरी दर्ज है। (अवार्ड/प्रार्थना पत्रों की छाया प्रति संलग्न)

खसरा नं. 349 में शोभागमल, अशोक, कमला देवी, रत्नी देवी, चमेली देवी, बीना देवी, शान्ति देवी, वारिसान् स्व. डाला देवी एंव गुलाब, फूला देवी पुत्रीयान् भैरूराम ने मुआवजा राशि की मांग की है साथ ही दामोदर प्रसाद पुत्र श्री भैरू ने उक्त खसरा नं. में अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार 7/16 हिस्सा देने की मांग की है। जबकि अवार्ड के अनुसार सत्यनाराण,

रिकार्ड के अनुसार 7/16 हिस्सा देने की मांग की है। जबकि अवार्ड के अनुसार सत्यनाराण, दीपचन्द, कमल प्रसाद पिता भैरू, दामोदर पुत्र भैरू ग्राम देवरी दर्ज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात् दामोदर व दीपचन्द द्वारा ही अपील की गई थी। (अवार्ड/प्रार्थना पत्रों की छाया प्रति संलग्न)

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अवार्ड व प्रार्थीयों द्वारा मांगी जा रही मुआवजा राशि से स्वामित्व व हिस्सा विवादित प्रतीत होता है। जिस पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जाना उचित रहेगा। इसलिए प्रकरण को उसके गुण—अवगुण के आधार पर प्रथम दृष्ट्या विवादित मानते हुए धारा 30 भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत माननीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जयपुर को निर्णय हेतु भिजवाया जाता है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।



(राजेन्द्र सिंह चौहान)
विश्वविद्यालयात्मवासन विभाग
नगरीय विकास परिषद् राजस्थान, जयपुर

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, सौजन्य, जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।)

क्रमांक:— ओ.एस.डी./नविवि/17/1572

दिनांक:— 17-1-2017

माननीय सिविल न्यायाधीश,
वरिष्ठ खण्ड—जयपुर।

विषय:— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.05.2015 की पालना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में संलग्न प्रकरणों को विवादित मानते हुए आपको धारा 30 भूमि अवास्ति अधिनियम के तहत निर्णय हेतु दिनांक 30.11.2016 को इस न्यायालय द्वारा प्रेषित किया गया था, आपके कार्यालय द्वारा बताई गई त्रुटियों को पूर्ण कर पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

—३—
(राजेन्द्र प्रसाद नारायण)
विशेषाधिकारी आवासन विभाग
नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: मु.सा.प्र. / रा.आ.म / जयपुर / 2022-23 / ३३५

दिनांक : ०८/०६/२०२२

कार्यालय-आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय/व्यावसायिक/संरथागत भूखण्डों के जारी आवटन पत्रों में उल्लेख किया जाता है कि आवटित भूखण्ड पर नियत २ वर्ष में निर्माण कराना अनिवार्य है। जिरासे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह शते निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के लिए है अथवा निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित है।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भवन विनियम-2020 के दिनु संख्या ८.११ मे उल्लेख किया गया है कि भवन अनुज्ञा की अवधि, लीजडीड मे उल्लेखित अवधि या सात वर्ष जो भी कम हो, देय होगी। लीजडीड जारी होने के दिवस/दिनांक से ३ वर्ष तक की अवधि मे भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त कर निर्माण प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा एवं लीजडीड की शर्तों के अनुसार निर्माण अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निर्धारित राशि जगा करवाकर निर्माण अवधि बढ़वानी होगी।

चूंकि भवन विनियम-2020 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी अंगीकार किये जा चुके हैं। अतः राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासीय/व्यावसायिक/संरथागत भूखण्डों के जारी आवटन पत्रों में उल्लेखित शर्तों में निर्माण कार्य शुरू करने की रीमा कब्जा प्राप्त करने की तिथि से ३ वर्ष तक तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से ७ वर्ष तक की जाती है।




(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निजी सचिव, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निदेशक विधि/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
- अति. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
- उप आवासन आयुक्त, पी. एड एम., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,।
- सदुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति माण्डल की वेबसाइट पर उल्लार्ये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करे।
- मास्टर फाईल।

D/DRB/OFFICE ORDER



मुख्य सम्पदा प्रबंधक



Rajasthan Housing Board, Division - 6, Jaipur

S. No.	Land Acq. Case No.	Civil APPEAL		Appellant	Contempt		Contempt Appellant No.	Contempt Yr	Awardee Khatedar	Name of Father/ Husband	Khasra			Payment Status	
		No.	Yr		No.	Yr					Nos.	Bigha	Biswa		
1	1/82/ 73	1619-20	2013	Devnarayan	519-20	2016	Devnarayan	Hardev	321	3	18	11797.50			
2	1/82/ 74	1621-22	2013	Keshar Lal & Ors	621-22	2016	Keshar Lal	Sukharam	338	7	3	21628.75			
					Gopal			Munna	322	3	17	35,846.25			
					Kanhaiya Lal				340	8	0				
					Rameshwari Devi										
					Mukesh										
					Radha										
					Meena Devi										
					Arti Devi										
					Puja										
3	1/82/ 75	1625-26	2013	Nathu	525-26	2016	Nathu	Nathu	323	12	7	37358.75			
4	1/82/ 76	1623-24	2013	Ramnarayan (By Lrs)	566-67	2016	Ramnarayan (Lrs)	Raghunath	324	12	08	37510.00			
5	1/82/ 81	1631-32	2013	Bhagwan Sahai & Ors	743-44	2016	Kajodmal	Raghunath							
					Prabhu Dayal			Sukha Ram	335	22	7	67608.75			
					Bhagwan Sahai										
					Pooran Mai										
6	1/82/ 83	1615-16	2013	Kamali	478-79	2016	Kamali	Chothu	Bhuwana	336	11	00	33275.00		
7	1/82/ 88	1611-12	2013	Balu & Anr	521-22	2016	Balu	Nathu	353	21	07	64583.75			
					Bhorilal			Nanaga							

No.	Land Acq. Case No.	Civil APPEAL		Appellant No.	Yr	Contempt No.	Yr	Contempt Appellant	Awardee Khatedar	Name of Father/ Husband	Khasra			Payment Status
		Nos.	Bigha								Nos.	Bigha	Biswa	Total Sq. Yd
8	1/82/ 89	1609-10	2013	Gopi	523-24	2016	Gopi	Ram	Nathu	355	22	1	66701.25	Payment paid to Khatedar
9	1/82/ 92	1617-18	2013	Ram Chandra & Anr	748-49	2016	Ram Chandra	Ram Prasad	Bhori Lal	362 to 366	13	14	41442.50	
10	1/82/ 93	1613-14	2013	Bhag Chand & Ors	551-52	2016	Bhag Chand	Ramesh	Ram Pratap					
								Narendra						
								Mukesh						
11	1/82/ 98	1627-28	2013	Mangi Lal & Ors	644-45	2016	Mangi Lal	Virdhi Chand	Gulla	376	21	00	63525.00	
								Sita Ram	Billa					
12	1/82/ 79	1607-08	2013	Rampyari & Ors	564-65	2016	Mohan Lal (Lrs)	Kishan Lal	Virdhi Chand	332	23	10	71087.50	
								Ramesh	Sita Ram					
								Chander	Ram Pal					
								Raju Lal	Kishan Lal					
13	1/82/ 86	1629-30	2013	Damodar & Anr	668-69	2016	Damodar	Saty Narain	Bheru	349	20	10	62012.50	Due to title dispute case referred to civil judge
								Deep Chand						
								Kamal Prasad						
								Damodar						
14	1/82/ 94	1633-34	2013	Mangal & Ors	750-51	2016	Mangal	Mangal	Panna	368	21	10	65037.50	
								Laxman	Chunni Lal					
								Moti	Ram Dev					
								Laxman						
								Sarju						

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



PHOTO

॥ विक्रय पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक / / 2022 को सचिव की ओर से उप आवासन आयुक्त, जयपुर वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर की ओर से जिन्हे इस पत्र मे

(प्रथम पक्ष)

से सबोधित किया जायेगा की ओर से श्री..... आयु वर्ष
जाति, निवासी, राजस्थान प्रान्त
(Aadhar Card No.)

(द्वितीय पक्ष)

उपरोक्त पक्षकारो के मध्य निम्न प्रकार तहरीर किया गया :-

जो कि दिनांक ईस्वी को प्रथम पक्ष ने अपने निर्धारित ई-नीलामी की शर्तों के अनुसार दुकान/भूखण्ड संख्या कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर जिसका कि पूरा विवरण इस लेख पत्र के अन्त में दिया हुआ है, को नीलाम की थी। प्रथम पक्ष की उक्त ई-नीलामी की शर्तों को द्वितीय पक्ष दिनांक ईस्वी को ई-नीलामी के समय स्वीकार कर चुका है। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के हित में उक्त सम्पत्ति का आवंटन पत्रांक दिनांक को जारी किया गया। द्वितीय पक्ष की अधिकतम बोली के कुल रूपये/- (अक्षरे) प्रथम पक्ष ने स्वीकार करते हुए विक्रय की गई दुकान/भूखण्ड का कब्जा दिनांक ईस्वी को द्वितीय पक्ष को दिया गया है।

अतः विक्रय पत्र निम्न प्रकार तहरीर किया गया :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने दुकान/भूखण्ड की कीमत/- (अक्षरे) ई-नीलामी की स्वीकृति बोली के आधार पर जमा करा दी हैं और दुकान/भूखण्ड का कब्जा सम्भाल लिया हैं। विक्रय की गई दुकान/भूखण्ड का पता इस प्रलेख पत्र पर संलग्न किया जा चुका हैं, जो इस प्रलेख पत्र का ही एक भाग माना जाये।

2. यह कि उक्त दुकान भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त करो की अदायगी का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित लीज राशि प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष को, प्रथम पक्ष को अदा करनी होगी। दुकान भूखण्ड की वार्षिक लीज राशि रूपये/- (अक्षरे रूपये) निर्धारित है। उक्त सम्पत्ति का प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के हित में अदेय प्रमाण पत्रांक दिनांक को जारी किया गया है।

(2)

3. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये समय पर समस्त अदायगी प्रदान करना आवश्यक होगा। ई—नीलामी की शर्तों जिनके आधार पर की दुकान/भूखण्ड नीलाम की गई हैं। वह भी इस विक्रय पत्र का भाग मानी जायेगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को दुकान/भूखण्ड के सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, नगर परिषद् व अन्य सम्बन्धित ऑथोरिटीज के सम्बन्धित नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा।

5. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल “डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी” रेगुलेशन 1970 के नियमों का पालना करना होगा। यह नियम भी इस विक्रय पत्र के नियम माने जायेंगे।

6. यह कि पक्षकारों के मध्य प्रलेख पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद, राजस्थान आवासन मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति के द्वारा निर्णित किया जायेगा। जिनके निर्णय से दोनों पक्षकार पाबन्द होंगे।

यह विक्रय पत्र पक्षकारों ने स्वेच्छा से आज दिनांक / / 2022 को तहरीर किया है।

विक्रय की गई दुकान/भूखण्ड रूपये/- (अक्षरे रूपये
.....) मे ही विक्रय की गई है।

उक्त विक्रय पत्र आज दिनांक / / 2022 को स्वेच्छा से तहरीर किया गया ताकि सनद् रहें।

दुकान/भूखण्ड का विवरण :—

दुकान/भूखण्ड संख्या

कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर का स्थित हैं।

दुकान/भूखण्ड के उत्तर में :

दक्षिण में :

पूर्व में :

पश्चिम में :

प्रथम पक्ष
राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से

द्वितीय पक्ष

(.....)